रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2011/पौष 9, 1933

No. 701] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2011/PAUSA 9, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 923(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशासनिक अधिकरण (उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रकिया) नियमावली, 2006 का अधिक्रमण करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले आवश्यक कार्य करने अथवा किए जाने से निकाल देने के सिवाय एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **लघु शीर्ष और आरम्भ** –(1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक अधिकरण (उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रकिया) नियमावली 2011 है।

(2) ये, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ** : इन नियमों में, जब तक इस संदर्भ में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है।

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ग) "अधिकरण" से केन्द्र सरकार के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकार के संबंध में राज्य प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

3. **चयन समिति की संरचना** –

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन से एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश–अध्यक्ष।

(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण–सदस्य।

(iii) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के सचिव–सदस्य।

(iv) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के सचिव–सदस्य।

(2) राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के सदस्यों के चयन के लिए– संबंधित राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन से संबंधित राज्य सरकार की एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश-अध्यक्ष।

(ii) संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव–सदस्य।

(iii) संबंधित राज्य के राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष–सदस्य।

(iv) संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष–सदस्य।

4. **रिक्तियाँ**– सदस्यों की प्रत्याशित रिक्तियां जो प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक उत्पन्न होती हैं, को चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, क्रमशः न्यायिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र से भरे जाने वाली सदस्यों की रिक्तियों की उस संख्या को दर्शाएगा, जिस पर इन रिक्तियों को भरने की प्रकिया तद्नुसार, केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग, जैसा भी मामला हो, द्वारा शुरू की जाएगी।

5. **आवेदनपत्र आमंत्रित करने/और उम्मीदवारी पर कार्रवाई करने की प्रकिया**– (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण–

(i) नियम 3 के उपनियम (1) में संदर्भित चयन समिति, आवेदनपत्र आमंत्रित करने और सदस्यों का चयन करने के लिए स्वयं की ही प्रकिया निर्धारित करेगी अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत विहित करेगी।

(ii) चयन समिति विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को लिखने के पश्चात कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची के व्यक्तियों में से सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।

(iii) केन्द्रीय सरकार चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तथा धारा 6 की उप धारा (3) में दिए गए उपबंध के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की एक अंतिम सूची बनाएगी।

(2) राज्य प्रशासनिक अधिकरण–

(i) नियम (3) के उपनियम (2) में संदर्भित संबंधित राज्य सरकार की चयन समिति, संबंधित राज्य के प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और चयन के लिए भी अपनी खुद की प्रकिया बनाएगी या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करेगी।

(ii) चयन समिति, राज्य के विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को लिखने के पश्चात् राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची के व्यक्तियों में से सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।

(iii) चयन समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद राज्य सरकार चुने गए व्यक्तियों की एक सूची बनाएगी और उस सूची को अपनी सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) में दिए गए उपबंध के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

6. **चयन समिति की बैठकें–** (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के मामले में, चयन समिति सामान्यतः अपनी बैठकें नई दिल्ली में और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के मामले में संबंधित राज्य की राजधानी में अथवा अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठकों के स्थान के परिवर्तन के लिए कारणों को रिकॉर्ड करके, उसके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर, आयोजित करेगी।

(2) चयन समिति की बैठक के लिए नोटिस अथवा कार्य–सूची, जैसा भी मामला हो, अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

(3) बैठक की तिथि और स्थान, समिति के अध्यक्ष की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(4) बैठक के लिए न्यूनतम कोरम अध्यक्ष और कम–से–कम एक अन्य सदस्य होगा।

7. **भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श–** (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के चयन के लिए धारा 6 की उप–धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य–न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा और नियम 3 के उपनियम (1) में संदर्भित चयन समिति की सिफारिश तद्नुसार उनका मत जानने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

(2) भारत के मुख्य न्यायाधीश के मत सहित चयन समिति की सिफारिशें, सक्षम प्राधिकारी को आदेशों के लिए प्रस्तुत की जायेंगी।

8. **राज्यपाल से परामर्श–** (1) राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के चयन के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ राज्य सरकार द्वारा परामर्श किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए नियम 3 के उपनियम (2) में संदर्भित चयन समिति की सिफारिशें उनके समक्ष रखी जायेंगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल के मत सहित चयन समिति की सिफारिशें, केन्द्र सरकार को भिजवाई जाएंगी और सरकार समक्ष प्राधिकारियों के आदेश मांगेगी।

[फा. सं. ए–11013/16/2010–ए.टी.]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव